बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बिहार, पटना।
कार्यालय–आदेश।

श्री विजय कुमार प्रसाद, मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, आरा द्वारा केन्द्राधीक्षक के रूप में न्यू ग्लोबल प्राईवेट औ0 प्र0 संस्थान, ट्रॉन्सर्पोट नगर, पटना के परीक्षा केन्द्र पर अपने कर्त्तव्यों/दायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करने, गंभीर कदाचार को बढ़ावा देने तथा अपने कार्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के आरोप में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–16 के प्रावधानों के अनुसार निदेशालय आदेश सं0–629 दिनांक–07–03–2017 द्वारा आरोप प्रपत्र ''**क**'' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

2– श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही हेतु गठित कुल– 3 (तीन) आरोपों में से संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित किये गये जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या–3 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप निदेशालय पत्रांक–353 दिनांक–22–02–2018 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

3– श्री प्रसाद द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को सम्यक् विचारोपरान्त अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के अन्तर्गत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है:–

(i)– श्री प्रसाद को अगले तीन (3) वर्षों तक केन्द्राधीक्षक नहीं बनाये जाने एवं परीक्षा संबंधी अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों से अलग रखा जाए।

(ii)–असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

4– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0 (6) मु0 अनु0 –05/2017–............................/ **प ट ना, दिनांक– – –2018**

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0 (6) मु0 अनु0 –05/2017–............................../ **प ट ना, दिनांक– – –2018**

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार आरा (भोजपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी–1/स्था0 (6) मु0 अनु0 –05/2017–.........1030........./ **प ट ना, दिनांक– 17 – 05 –2018**

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, आरा (भोजपुर)/श्री विजय कुमार प्रसाद, मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, आरा/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, आरा को निदेशित दिया जाता है कि उक्त अधिरोपित दण्ड की प्रविष्टि विजय कुमार प्रसाद के सेवापुस्त में दर्ज किया जाए।

निदेशक, 16/5
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।
17/5/18

C-2/17-ADESH
17/05/2018/P-41